भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4 में प्रकाशनार्थ

दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएं (तीसरा) (कैस क्षेत्र) टैरिफ (तीसरा संशोधन) आदेश, 2008
(2008 का संख्यांक 5)

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 दिसम्बर, 2008

सं0 1–32/2008–बीएंडसीएस –– भारत सरकार, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (दूरसंचार विभाग) की अधिसूचना सं0 39 जो, –

(क) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 की धारा 2 की उप–धारा (1) के खंड (ट) के परंतुक तथा धारा 11 की उप–धारा (1) के खंड (घ) के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी की गई थी, तथा

(ख) भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4 में दिनांक 9 जनवरी, 2004 की अधिसूचना संख्या का.आ. 44 (अ) और 45 (अ) के तहत प्रकाशित हुई थी,

के साथ पठित भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (1997 का 24) की धारा 11 की उप–धारा (2) तथा उप–धारा (1) के खंड (ख) के उप–खंड (ii), (iii), (iv) और (v) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएं (तीसरा) (कैस क्षेत्र) टैरिफ आदेश, 2006 (2006 का 6) में और संशोधन करने के लिए एतदद्वारा निम्नलिखित आदेश बनाता है, अर्थात्:–

1. (1) यह आदेश दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएं (तीसरा) (कैस क्षेत्र) टैरिफ (तीसरा संशोधन) आदेश, 2008 कहा जाएगा।

(2) यह जनवरी, 2009 के प्रथम दिन से प्रवृत्त होगा।

2. दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएं (तीसरा) (कैस क्षेत्र) टैरिफ आदेश, 2006 (2006 का 6) (जिसे इसमें इसके पश्चात प्रधान टैरिफ आदेश कहा गया है), में,–

(क) खंड 4 में, "77/–रुपये" शब्द और अंक के स्थान पर "बयासी रूपये" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(ख) खंड 6 के उप–खंड (ii) में, "पांच रुपये" शब्दों के स्थान पर "पांच रुपये और पैंतीस पैसे" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

3. प्रधान टैरिफ आदेश की अनुसूची में,–

(क) **विकल्प–I** के अंतर्गत सारणी में, "सिक्योरिटी डिपॉजिट सहित मासिक किराया योजना" कॉलम के अंतर्गत,–

(i) मद "1) प्रति सेट टॉप बॉक्स मासिक किराया" के सम्मुख, "30/–रुपये" शब्द और अंक के स्थान पर "बाईस रुपये" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(ii) मद "2) सिक्योरिटी डिपॉजिट [रिफंडेबल]" के सम्मुख, "999/–रुपये" शब्द और अंक के स्थान पर "सात सौ पचास रुपये" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(iii) मद "7) रिफंडेबल सिक्योरिटी जमा में से कटौती" के सम्मुख, "बारह रुपये पचास पैसे (12.50 रुपये)" शब्दों, अंकों और कोष्ठकों के स्थान पर "दस रुपये (10/–रुपये)" शब्द, अंक और कोष्ठक प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(ख) **विकल्प–II** के अंतर्गत सारणी में, "सिक्योरिटी डिपॉजिट सहित मासिक किराया" कॉलम में,–

(i) मद "1) प्रति सेट टॉप बॉक्स मासिक किराया" के सम्मुख, "45/–रुपये" शब्द और अंक के स्थान पर "चौंतीस रुपये" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(ii) मद "2) सिक्योरिटी डिपॉजिट [रिफंडेबल]" के सम्मुख, "250/–रुपये" शब्द और अंक के स्थान पर "दो सौ रुपये" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(iii) मद "7) रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट में से कटौती" के सम्मुख, "तीन रुपये (3 रुपये)" शब्दों, अंको, और कोष्ठकों के स्थान पर "दो रुपये पचास पैसे (2.50 रुपये)" शब्द, अंक और कोष्ठक प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

(आर.एन. चौबे)

प्रधान सलाहकार (बी एंड सीएस)

टिप्पणी 1: इस आदेश के साथ संलग्न व्याख्यात्मक ज्ञापन दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएं (तीसरा) (कैस क्षेत्र) टैरिफ (तीसरा संशोधन) आदेश, 2008 के उद्देश्य और कारणों का वर्णन करता है।

टिप्पणी 2: दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएं (तीसरा) (कैस क्षेत्र) टैरिफ आदेश, 2006 (2006 का 6) अधिसूचना सं0 15–3/2006–बीएंडसीएस के तहत दिनांक 31 अगस्त, 2006 को प्रकाशित हुआ था तथा इसमें बाद में अधिसूचना सं0 1–18/2006 बीएंडसीएस दिनांक 21 नवम्बर, 2006 और सं0 1–20/2006–बीएंडसीएस दिनांक 19 दिसम्बर, 2006 द्वारा संशोधन किए गए।

अनुबंध

व्याख्यात्मक ज्ञापन

प्राधिकरण ने दिनांक 31 अगस्त, 2006 के दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएं (तीसरा) (कैस क्षेत्र) टैरिफ आदेश, 2006 (2006 का 6) के द्वारा देश में सशर्त उपागम प्रणाली (कैस) क्षेत्रों में केबल टीवी सेवाओं के लिए सेवा प्रदाताओं द्वारा सब्सक्राइबर से वसूल किए जा सकने वाले प्रभारों पर निम्नलिखित सीलिंग निर्धारित की थी जिसे सरकार द्वारा केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियम) अधिनियम, 1995 (1995 का 7) की धारा 4क की उप–धारा (1) के अंतर्गत समय–समय पर अधिसूचित किया गया था:–

(क) कम से कम तीस फ्री–टु–एयर चैनलों के लिए (बेसिक सेवा टियर) 77/–रुपये प्रति माह से अनधिक (करों को छोड़कर)।

(ख) प्रत्येक पे–चैनल के लिए प्रति पे–चैनल प्रतिमाह 5/–रुपये से अनधिक (करों को छोड़कर)।

2. प्राधिकरण ने "टीवी चैनलों के प्रसारण और वितरण संबंधी मुद्दे" पर दिनांक 1 अक्तूबर, 2004 की अपनी सिफारिशों में यह भी कहा था कि मुद्रास्फीति के समायोजन हेतु सीलिंग में आवधिक रूप से संशोधन किया जाएगा।

3. वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत एक संबद्ध कार्यालय के आर्थिक सलाहकार कार्यालय द्वारा अनुरक्षित थोक मूल्य सूचकांक में संचलन के आधार पर दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएं (दूसरा) टैरिफ (नौवां संशोधन) आदेश, 2008 दिनांक 26 दिसम्बर, 2008 द्वारा 1 जनवरी, 2009 से गैर–कैस क्षेत्रों में केबल टीवी सेवाओं के लिए प्रभारों में 7 प्रतिशत के मुद्रास्फीति संबंधी समायोजन की व्यवस्था की जा रही है। कैस और गैर–कैस क्षेत्रों में केबल टीवी क्षेत्र में समान वृद्धि बनाए रखने हेतु यह उपयुक्त समझा गया कि बेसिक सेवा टियर के साथ–साथ पे–चैनलों के मूल्य में भी प्रभारों पर सीलिंग में 7 प्रतिशत के समान समायोजन की व्यवस्था की जाए। तदनुसार, बेसिक टियर हेतु प्रभारों की सीलिंग को 77/–रुपये से बढ़ाकर 82/रुपये (करों

को छोड़कर) तथा प्रतिमाह प्रत्येक पे–चैनल के अधिकतम खुदरा मूल्य पर सीलिंग को 5/–रुपये से बढ़ाकर 5.35/– रुपये (करों को छोड़कर) कर दिया गया है।

4. इसके अलावा, दिनांक 31 अगस्त, 2006 के टैरिफ आदेश में यह भी प्रावधान है कि एक कैस क्षेत्र में प्रत्येक मल्टी सिस्टम ऑपरेटर/केबल ऑपरेटर सब्सक्राइबर को अनिवार्य रूप से सेट टॉप बॉक्स (एसटीबी) के लिए दो स्टैंडर्ड टैरिफ पैकेज (एसटीपी) की पेशकश करेगा। पहले एसटीपी में पांच वर्षों के लिए 999/–रुपये के सिक्योरिटी डिपॉजिट के साथ 30/–रुपये मासिक किराये का प्रावधान है। दूसरे एसटीपी में पांच वर्षों के लिए 250/–रुपये के सिक्योरिटी डिपॉजिट के साथ 45/–रुपये मासिक किराए का प्रावधान है। इन दो एसटीपी के अतिरिक्त, सेवा प्रदाता अन्य कोई टैरिफ पैकेज देने के लिए स्वतंत्र है।

5. दिनांक 31 अगस्त, 2006 के टैरिफ आदेश द्वारा एसटीबी के लिए विनिर्दिष्ट स्टैंडर्ड टैरिफ पैकेज (एसटीपी) मूलतः उस समय सेट टॉप बॉक्स के प्रचलित बाजार मूल्य पर आधारित था। गत दो वर्षों के दौरान, प्रौद्योगिकीय उन्नति तथा एसटीबी की आसान उपलब्धता के कारण डिजिटल एसटीबी के मूल्यों में गिरावट आई है। प्राधिकरण यह आवश्यक मानता है कि एसटीपी वर्तमान आकलन पर आधारित हो ताकि किराया योजनाओं का प्रभावी लाभ अंत्य प्रयोक्ता को मिले। तदनुसार प्राधिकरण ने बदलते परिदृश्य के अनुसार तथा मल्टी सिस्टम ऑपरेटरों/केबल ऑपरेटरों के साथ–साथ सब्सक्राइबरों को बेहतर विकल्प देने के लिए दोनों स्टैंडर्ड टैरिफ पैकेज (एसटीपी) में संशोधन किया है। इससे प्रतिस्पर्धा में वृद्धि होगी तथा एसटीबी की पैठ और भी बेहतर होगी जिससे डिजिटलीकरण में तेजी आएगी।